

29/9/21

समयपक्षकारान ले विद्वान अधिवक्ता
उपस्थित/ उपस्थित। प्रकरण को
लोक अदालत में रैफर करने हेतु
दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण
लोक अदालत में रैफर किया जाता है
पक्षकारान दि. 28.10.21 को लोक
अदालत में उपस्थित हो।

अधिवक्ता
लोक अदालत
खीवसर

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन
गांवों के संग अभियान-2021, केम्प कोर्ट ग्राम
पंचायत में रैफर हुआ। उपस्थित
पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया
गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में
दिनांक 18-12- को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
प्र.ग्रा.के.अ. 2021
उपखण्ड अधिकारी
खीवसर

18/12/21 पक्षकारान के अधिवक्ता

गटासीन अधिकारी जी मीटिंग में भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए
हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 04/12/21
प्रस्तुत हो।

04/12/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में
स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए
हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 21/7/21 को पेश हो।

21/7/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में
स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए
हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 22/11/21 को पेश हो।

22/11/21 वकील वारी/प्रार्थी के विवेक पर पत्रावली आदि पेश हुई।
वकील वारी/प्रार्थी ने आरोप पेश कर विवेक किया कि इस प्रकार के
राजीनामा ले चुका है। इसी प्रकार में इस प्रकार को आरोप नहीं चलाया जा सकता
है। परीमे विज्ञान खारील किया जावे।

22/11/21 श्रीमान राम
विज्ञान खारील किया जाना है। पत्रावली पेश की जायेगी
जावे। राजीनामा दफ्त हो।
सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर

सेवामें,

श्रीमान

वादी -

गुमानाराम पुत्र हरक

निवासी पचरो एवं

प्रतिवादीगण -

1. लिछमणराम
2. हडमानराम पु
3. जिताराम पुत्र
4. ओमाराम पुत्र
5. तुलछीराम पु
6. हरेन्द्र पुत्र लि
7. कमला पत्नी
8. गोमन्दराम पु
9. दीपाराम पुत्र
10. भंवराराम पुत्र
11. पेमीदेवी पुत्री
12. धापू देवी पुत्री
13. चुकीदेवी पत्नी
- निवासीगण प
14. तहसीलदार,

श्रीमानजी,

वादी